राज० सं० / 40/12 जारिकी बनाम चन्दा वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-03-15	वकील आवेदक उपस्थित। आदे० 39 R 7 CPC एवं बहस प्रार्थना पत्र 212 RT Act की बहस हेतु समय चाहते है, समय दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07-04-2015 को पेश हो। SDO.	
07/4/15	वकील आवेदक उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे० 39 R 7 CPC सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की इस्तदुआ की है, जिसके सम्बन्ध में व्यक्त किया कि मामला सीमा में रहता है, ... तथा न्याय हित में वास्तविक स्थिति का पता नहीं होने तथा न्याय निर्णय के लिये मंगवाया जाना मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की इस्तदुआ की है। जिसके बहस जवाब में व्यक्त किया कि प्रमाण का बोझा वादी पर है तथा वादी साक्ष्य मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित नहीं है, जिससे प्रार्थना पत्र आदे० 39 R 7 CPC को खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस पर गौर किया गया। वस्तुतः प्रमाण का बोझा वादी पर है तथा वादी साक्ष्य प्रस्तुत करके मौका कमीशन रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थना पत्र आदे० 39 R 7 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 23-04-2015 को पेश हो। SDO.	
23-04-15	वकील आवेदक उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र को समय चाहते है, समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते दिनांक 27-04-15 को पेश हो। SDO.	
27/4/15	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय निम्बोल अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 30-05-15 को पेश हो। SDO.	
30/5/15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र निम्बोल पर पेश हुई। पत्रावली मुख्यालय पर वास्ते सुनवाई दिनांक 06-07-15 को पेश हो। SDO.	
06-07-15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - सेवरिया में पेश हुई। वकील उप० बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील सुनी गई। वस्तुतः पक्षकारान स्वयं राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	तथा करके व्याप्त आदि अन्य समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन / विश्लेषण तथा साक्ष्य आदि के आधार पर मूल वाद में विनिश्चय किया जा सकेगा। चूँकि पैतृक व पुश्तैनी सजरा वंशावली अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड से होना बखूबी साबित है, लिहाजा सायलान का उक्त पुश्तैनी व पैतृक भूमि में हिस्सा प्रथम दृष्टया बखूबी साबित होता है। तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै०सा० का तथा उक्त विवादित भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति उभय पक्षों को बनाये रखने हेतु वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः आज्ञार्थ निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गै०सा० उस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा – निवाड़ तहसील – जौनपुर में स्थित विवादित कृषि भूमि खण्ड सं० 6, 7, 32 एवं 59 कुल किता 4 रकबा 34=01 बीघा तथा खण्ड सं० 67 रकबा 7=03 बीघा खातेदार की वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै०सा० को तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के साथ मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षों को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।	

Scanned by CamScanner